मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास
(रु0 150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम
प्रयागराज/लखनऊ क्षेत्र



तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु
बिक्री सूची तथा नीलाम एवं बिक्री की सामान्य शर्तें

....

नीलाम की तिथि व समय

दिनांक 28.03.2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से

विक्रय प्रभाग, जिसकी लाटों का समिति नीलाम होगा–दुद्धी,वाराणसी एवं झाँसी

.....

नीलाम स्थल:

सगुन निलायम (गेस्ट हाउस) बी0 एस0 ए0

आफिस के निकट

जगराम चौराहा

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु विक्रय सूची, नीलाम सूचना एव नीलाम द्वारा बिक्री की शर्तें

1. वर्ष–2021 सीजन की तेन्दू पत्ता की अवशेष व पूर्व की अन्य अवशेष लाटों की लाटवार विक्रय सूची
2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु नीलाम सूचना –नीलाम तिथि 28.03.2022
3. नीलाम द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र0 सं0	लाट सं0 व वर्ष	ईकाई का नाम		मण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R- A 03 /21	असनहर	Asanhar	30	20.500	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
2	R- A 04 /21	औराडंडी	Auradandi	129	106.480	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
3	R- A 05 /21	अवाडी–स	Avadi-S	135	94.555	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
4	R- A 06 /21	बागेसोती–अ	Bagesoti-A	55	44.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
5	R- A 07 /21	बागेसोती–ब	Bagesoti-B	88	65.400	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
6	R- A 09 /21	बलेरी	Baleri	67	59.500	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
7	R- A 12 /21	बहेराडोल	Behradol	150	120.000	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
8	R- A 16 /21	भरहरी	Bharhari	32	18.250	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
9	R- A 18 /21	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	62	44.400	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
10	R- A 19 /21	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	72	53.850	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
11	R- A 20 /21	गर्दा	Garda	35	22.885	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
12	R- A 21 /21	गौरसिंहा	Gaurasinha	36	30.900	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
13	R- A 22 /21	गुलालझरिया	Gulaljharia	41	31.485	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
14	R- A 28 /21	झारो(कटौधी)	Jharo (Katoudhi)	50	37.300	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
15	R- A 29 /21	करहिया	Karahia	102	83.550	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
16	R- A 32 /21	केवाल–स	Kewal- S	25	19.000	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
17	R- A 34 /21	कोरगी	Korgi	28	22.383	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
18	R- A 41 /21	नौडीहा	Naudiha	74	63.700	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
19	R- A 42 /21	पिपरा–अ	Pipra-A	29	18.780	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
20	R- A 43 /21	पर्वतवा/ इन्जानी	Parvatwa/ Enjani	45	31.500	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
21	R- A 46 /21	रामगढ़–ब	Ramgarh-B	134	111.488	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
22	R- A 48 /21	रन्नू	Rannu	60	43.210	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
23	R- A 54 /21	ससनई	Sasanai	18	11.500	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
24	R- A 55 /21	सेमिया–अ	Semia-A	30	21.000	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
25	R- A 56 /21	सेमिया–ब	Semia -B	89	61.650	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
26	R- A 57 /21	सुपाचुआं	Supachuan	126	100.100	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
27	R- A 59/21	वासिन–अ	Wasin-A	111	87.950	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
	27 लाटें	योग		1853	1425.516	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र0 सं0	लाट सं0 व वर्ष	सेक्शन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	R- B 01 /21	अनपरा	Anpara	356	264.103	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
2	R- B 02 /21	अनपरा	Anpara	786	549.000	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
3	R- B 05 /21	बभनी–1	Babhni-1	816	559.770	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
4	R- B 06 /21	बभनी–1	Babhni-1	854	604.540	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
5	R- B 07 /21	बभनी–1	Babhni-1	953	669.740	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
6	R- B 08 /21	बभनी–1	Babhni-1	805	572.910	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
7	R- B 09 /21	बभनी–1	Babhni-1	896	614.600	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
8	R- B 10 /21	बभनी–1	Babhni-1	812	573.592	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
9	R- B 11 /21	बभनी–1	Babhni-1	821	578.500	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
10	R- B 12 /21	बभनी–1	Babhni-1	808	556.555	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
11	R- B 13 /21	बभनी–1	Babhni-1	865	610.078	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
12	R- B14 /21	बभनी–1	Babhnj-1	362	265.922	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
13	R- B 16 /21	बभनी–2	Babhni-2	972	772.540	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
14	R- B 17 /21	बभनी–2	Babhni-2	914	814.880	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
15	R- B 18 /21	बभनी–2	Babhni-2	930	733.415	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
16	R- B 19 /21	बभनी–2	Babhni-2	887	691.115	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
17	R- B 20 /21	बभनी–2	Babhni-2	914	701.625	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
18	R- B 21 /21	बभनी–2	Babhni-2	926	667.635	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
19	R- B 22 /21	बभनी–2	Babhni-2	1018	849.190	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
20	R- B 23 /21	डाला	Dala	381	284.110	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
21	R- B 24 /21	डाला	Dala	701	492.925	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
22	R- B 29 /21	डाला	Dala	564	395.503	भानुमती गोदाम, दुद्धी
23	R- B 30 /21	दुद्धी	Duddhi	534	398.010	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
24	R- B 31 /21	दुद्धी	Duddhi	334	291.450	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
25	R- B 36 /21	गोहणा	Gohada	985	797.380	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
26	R- B 38 /21	गोहणा	Gohada	915	740.710	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
27	R- B 39 /21	गोहणा	Gohada	590	477.615	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
28	R- B 40 /21	गोहणा	Gohada	586	474.380	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
29	R- B 41 /21	गोहणा	Gohada	523	398.895	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
30	R- B 42 /21	गोहणा	Gohada	110	83.820	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
31	R- B 43 /21	गोहणा	Gohada	690	537.275	प्रिया दूबे गोदाम, दुद्धी
32	R- B 44 /21	जरहा	Jarha	750	590.850	भागीरथी गोदाम,हीराचक
33	R- B 45 /21	जरहा	Jarha	651	512.850	भागीरथी गोदाम,हीराचक
34	R- B 46 /21	जरहा	Jarha	700	551.460	भागीरथी गोदाम,हीराचक
35	R- B 47 /21	जरहा	Jarha	705	555.406	भागीरथी गोदाम,हीराचक
36	R- B 48 /21	जरहा	Jarha	580	454.723	भागीरथी गोदाम,हीराचक
37	R- B 49 /21	जरहा	Jarha	909	712.650	भागीरथी गोदाम,हीराचक
38	R- B 50 /21	जरहा	Jarha	990	740.920	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
39	R- B 51 /21	जरहा	Jarha	1000	748.400	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
40	R- B 52 /21	जरहा	Jarha	1000	748.405	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
41	R- B 53 /21	जरहा	Jarha	440	329.300	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
42	R- B 54 /21	जरहा	Jarha	985	737.175	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
43	R- B 55 /21	जरहा	Jarha	925	692.275	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
44	R- B 56 /21	जरहा	Jarha	781	584.500	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
45	R- B 57 /21	जरहा	Jarha	334	260.352	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
46	R- B 58 /21	जरहा	Jarha	798	622.050	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
47	R- B 59/21	जरहा	Jarha	786	612.700	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
48	R- B 60 /21	जरहा	Jarha	808	629.800	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
49	R- B 61 /21	जरहा	Jarha	811	632.200	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
50	R- B 62 /21	जरहा	Jarha	795	619.850	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
51	R- B 63 /21	जुगैल–अ	Jugail-A	455	306.397	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल

52	R- B 64 /21	जुगैल–अ	Jugail- A	258	173.730	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
53	R- B 65 /21	जुगैल–अ	Jugail- A	222	149.580	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
54	R- B 66 /21	जुगैल–अ	Jugail- A	291	193.875	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम),सलखन
55	R- B 67 /21	जुगैल–अ	Jugail- A	135	93.090	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम),सलखन
56	R- B 70 /21	जुगैल–ब	Jugail-B	290	208.335	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
57	R- B 71 /21	जुगैल–ब	Jugail-B	184	127.380	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
58	R- B 72 /21	कोन	Kon	890	716.450	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
59	R- B 73 /21	कोन	Kon	600	482.800	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
60	R- B 74 /21	कोन	Kon	600	483.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
61	R- B 75 /21	कोन	Kon	465	374.612	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
62	R- B 77 /21	कोन	Kon	698	576.890	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
63	R- B 79 /21	कोन	Kon	700	562.260	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
64	R- B 83 /21	कोन	Kon	700	564.222	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
65	R- B 84 /21	कोन	Kon	370	299.781	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
66	R- B 88 /21	म्योरपुर	Myorpur	407	279.735	भानुमती गोदाम, दुद्धी
67	R- B 89 /21	म्योरपुर	Myorpur	622	446.560	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
68	R- B 90 /21	म्योरपुर	Myorpur	791	618.254	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
69	R- B 91 /21	म्योरपुर	Myorpur	750	557.244	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
70	R- B 92 /21	म्योरपुर	Myorpur	730	522.225	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
71	R- B 93 /21	म्योरपुर	Myorpur	816	610.148	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
72	R- B 100/21	ओबरा	Obra	260	179.150	परसोई गोदाम, परसोई
73	R- B 103 /21	पिपरी	Pipri	906	664.630	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
74	R- B 107 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	567.100	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
75	R- B 108 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	568.000	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
76	R- B 110 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	267	216.682	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
77	R- B 111 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	382	320.975	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
78	R- B 112 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	560.780	भागीरथी गोदाम,हीराचक
79	R- B 113 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	821	656.743	भागीरथी गोदाम,हीराचक
80	R- B 114 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	96	75.250	भागीरथी गोदाम,हीराचक
81	R- B 121 /21	विंण्ढमगंज	Wyndhamganj	351	278.300	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
	81 लार्टे	**योग**		**53513**	**40792.027**	
	108 लार्टे	**प्रभाग का कुल योग**		**55366**	**42217.543**	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-A 02/21	गहिला	Gahila	42	33.600	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
2	M-A 08/21	चौरा	Chaura	98	74.400	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
3	M-A 09/21	देवरी	Deori	50	35.000	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
4	M-A 10/21	माँची	Manchi	49	39.200	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
5	M-A 11/21	मझुई	Majhuee	69	53.350	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
6	M-A 12/21	सिलहट	Silahat	63	48.900	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
7	M-A 13/21	सुअर सोत	Suar sot	115	88.960	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
8	M-A 14/21	दरेव	Darev	54	42.815	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
9	M-A 15/21	रौप	Raup	605	485.600	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
10	M-A 16/21	चिरूई	Cheruee	50	39.150	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
11	M-A 17/21	मऊ	Mau	48	35.700	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
12	M-A 18/21	पटना	Patna	18	13.500	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
13	M-A 19/21	रामपुर	Rampur	240	178.950	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
14	M-A 21/21	लेढुकी द0	Leduki South	35	28.000	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
15	M-A 22/21	लेढुकी उ0	Leduki North	55	44.000	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
16	M-A 23/21	मधुपुर	Sukrit/Madhupur	26	21.300	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
17	M-A 27/21	भैसोड़	Bhaisod	25	20.000	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
18	M-A 28/21	चौरा/कवलझर	Kawaljhar/Chaura	304	243.200	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
	18 लाटें	योग		1946	1525.625	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	M-B 01/21	रामगढ़ से0	Ramgarh Sec.	327	251.605	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
2	M-B 02/21	रामगढ़ से0	Ramgarh Sec.	467	376.975	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
3	M-B 03/21	रामगढ़ से0	Ramgarh Sec.	331	249.215	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
4	M-B-04/21	चुर्क से0	Churk Sec.	514	393.884	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
5	M-B-05/21	चुर्क से0	Churk Sec.	666	525.737	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
6	M-B 06/21	चुर्क से0	Churk Sec.	241	185.917	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
7	M-B 07/21	चुर्क से0	Churk Sec.	192	136.000	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
8	M-B 08/21	चुर्क से0	Churk Sec.	326	237.885	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
9	M-B 09/21	ड्रमण्डगंज से0	Drumandganj Sec.	457	400.880	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
10	M-B 10/21	चुनार से0	Chunar Sec.	188	158.650	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
11	M-B 11/21	ड्रमण्डगंज से0	Drumandganj Sec.	410	359.830	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
12	M-B 12/21	हलिया से0	Halia Sec.	359	273.389	चुर्क गोदाम,सोनभद्र

13	M-B 13/21	पटेहरा से0	Patehara Sec.	287	224.740	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
14	M-B 14/21	घोरावल से0	Ghorawal Sec.	638	505.985	चुर्क गोदाम,सोनभद्र
15	M-B 15/21	मझगाई से0	Majhagai Sec.	321	236.202	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
16	M-B 16/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	472	373.680	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
17	M-B 17/21	चकिया से0	Chakia Sec.	412	371.675	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
18	M-B 18/21	मझगाई से0	Majhagai Sec.	340	259.277	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
19	M-B 19/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	304	232.405	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
20	M-B 20/21	चकिया से0	Chakia Sec.	200	161.700	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
21	M-B 21/21	चकिया से0	Chakia Sec.	395	352.530	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
22	M-B 22/21	चकिया से0	Chakia Sec.	581	525.055	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
23	M-B 23/21	चकिया से0	Chakia Sec.	586	468.375	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
24	M-B 24/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	350	275.430	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
25	M-B 25 /21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	341	268.350	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
	25 लाटें	योग		9705	7805.371	
	43 लाटें	प्रभाग का योग		11651	9330.996	

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग, प्रयागराज

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	P-B 02/21	बड़ोखर–II	Barokhar-II	409	324.585	चकवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	P-B 04/21	संसारपुर	Sansarpur	358	262.915	चकवाल, गोदाम मिर्जापुर
	02 लाटें	योग		767	587.500	
	02 लाटें	प्रभाग का योग		767	587.500	
	153 लाटें	क्षेत्र का योग		67784	52136.039	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	2	3	4	5	6	7
1	K-A 1/21	अगरहुण्डा	AGARHUNDA	1382	829.590	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
2	K-A 3/21	बबुरी	BABURI	980	658.470	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
3	K-A 5/21	भौरी	BHAURI	300	200.450	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
4	K-A 9/21	ददरी III	DADARI III	310	184.845	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
5	K-A 15/21	इटवा I	ETAWA I	995	695.900	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
6	K-A 16/21	इटवा II	ETAWA II	838	586.097	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
7	K-A 17/21	गढ़वा	GADAWA	1167	873.567	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
8	K-A 18/21	गढचपा (अ)	GARHCHAPA A	550	362.535	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
9	K-A 19/21	गढचपा (ब)	GARHCHAPA B	812	479.880	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	K-A 20/21	हनुवा	HANUA	601	368.210	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
11	K-A 21/21	कल्चिहा/बोझ	KALCHIYA/BOJH	594	398.510	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
12	K-A 22/21	कटैयाडांडी	KATAIYA DANDI	293	213.730	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
13	K-A 32/21	लौरी	LAURI	1203	860.420	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
14	K-A 40/21	मनकाछतैनी/गुइंयाकला	MANAKACHHATAINI/ GUINYAKALA	533	365.775	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
15	K-A 47/21	सरहट अ	SARAHAT A	447	225.725	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
16	K-A 48/21	सरहट ब	SARAHAT B	889	572.195	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
17	K-A 53/21	टिकरिया	TIKARIYA	291	159.400	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
	17 लाटें	योग		**12185**	**8035.299**	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-B 2/21	बरगढ़ सैक्शन	BARAGARH SECTION	557	403.095	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
2	K-B 3/21	कर्वी सैक्शन	KARWI SECTION	626	380.075	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-B 4/21	मानिकपुर सैक्शन	MANIKPUR SECTION	121	144.115	मण्डी समिति गोदाम,मऊ मानिकपुर
4	K-B 6/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	456	296.400	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
5	K-B 7/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	603	391.950	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
6	K-B 8/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	662	430.678	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
	06 लाटें	योग		**3025**	**2046.313**	
	23 लाटें	प्रभाग का योग		**15210**	**10081.612**	

झांसी लौगिंग प्रभाग, झांसी

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	2	3	4	5	6	7
1	L-A 15/21	नीमखेड़ा	NEEMKHEDA	53	44.275	मण्डी समिति गोदाम, तिसगना
	01 लाट	योग		53	44.275	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	L-B 1/21	गौना सैक्शन	GAUNA SECTION	61	48.000	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम, ललितपुर
2	L-B 2/21	मड़ावरा/गौना सैक्शन	MADAWARA/GAUNA SECTION	127	100.210	मण्डी समिति गोदाम, तिसगना
3	L-B 3/21	तालबेहट सेक्शन	TALBEHAT SECTION	09	6.150	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम, ललितपुर
	03 लाटें	योग		197	154.360	

सी–1 की लाट

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	L-C 01/21	सी–1	C-1	60	34.725	रेंज परिसर, गौना
	01 लाट	योग		60	34.725	
	05 लाटें	कुल योग		310	233.360	
	28 लाटें	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		15520	10314.972	
	181 लाटें	प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		83304	62451.011	

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट

वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र0सं0	लाट सं0 व वर्ष	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	R- A 04 /20	अमरसोता	Amarsota	116	76.300	परसोई गोदाम, परसोई
2	R- A 05 /20	अमरसोता	Amarsota	131	87.770	परसोई गोदाम, परसोई
3	R- A 07 /20	औराडंडी	Auradandi	180	144.000	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
4	R- A 22 /20	बसुधा	Basudha	48	27.400	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
5	R- A 25 /20	बहेराडोल	Behradol	57	45.600	भानुमती गोदाम, दुद्धी
6	R- A 26 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	53	38.231	भानुमती गोदाम, दुद्धी
7	R- A 27 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	178	128.515	भानुमती गोदाम, दुद्धी
8	R- A 29 /20	बेलगढी–ब	Belgadhi-B	117	81.030	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
9	R- A 41 /20	धूमा –ब	Dhuma -B	52	46.600	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
10	R- A 42 /20	डोडहर,सिरसोती	Dodhar, Sirsoti	17	13.400	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
11	R- A 44 /20	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	73	54.729	भानुमती गोदाम, दुद्धी
12	R- A 45 /20	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	80	63.560	भानुमती गोदाम, दुद्धी
13	R- A 47 /20	गाढ़ा	Gadha	16	10.500	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
14	R- A 57 /20	गुरमुरा–ब	Gurmura-B	14	10.000	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
15	R- A 58 /20	हरनाकछार– अ	Harna Kachhar-A	179	156.740	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
16	R- A 59/20	हरनाकछार– ब	Harna Kachhar B	139	110.720	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
17	R- A 63 /20	हाथीनाला,हथवानी	Hathinala, Hathwani	85	59.800	भानुमती गोदाम, दुद्धी
18	R- A 66 /20	जाताजुआं (धूरपा)	Jatajuan (Dhurpa)	135	110.970	भागीरथी गोदाम,हीराचक
19	R- A 68 /20	जोरूखाड़	Jorukhad	60	49.950	भागीरथी गोदाम,हीराचक
20	R- A 72 /20	करहिया	Karahia	279	223.786	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
21	R- A 79 /20	कोरगी	Korgi	54	42.850	भागीरथी गोदाम,हीराचक
22	R- A 81 /20	कोटा	Kota	39	26.000	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
23	R- A 86 /20	मझौली	Majhaulee	45	30.178	भानुमती गोदाम, दुद्धी
24	R- A 87 /20	मझौली	Majhaulee	87	55.392	भानुमती गोदाम, दुद्धी
25	R- A 89 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)–अ	Murdwa (Renukoot)-A	16	11.200	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
26	R- A 90 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)–ब	Murdwa (Renukoot) - B	9	6.300	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
27	R- A 91 /20	नदहरी	Nadhari	201	132.550	परसोई गोदाम, परसोई
28	R- A 94 /20	नवाटोला	Navatola	94	58.900	परसोई गोदाम, परसोई
29	R- A 95 /20	नवाटोला	Navatola	91	58.610	परसोई गोदाम, परसोई
30	R- A 96 /20	नेमना–अ	Nemna -A	37	29.600	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
31	R- A 100 /20	पिपरा–ब	Pipra-B	60	36.550	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
32	R- A 101 /20	परसोई	Parsoi	49	34.000	परसोई गोदाम, परसोई

33	R- A 102 /20	परसोई	Parsoi	43	30.505	परसोई गोदाम, परसोई
34	R- A105 /20	रजखड़	Rajkhad	37	25.678	भानुमती गोदाम, दुद्धी
35	R- A 106 /20	रजखड़	Rajkhad	31	21.450	भानुमती गोदाम, दुद्धी
36	R- A 114 /20	सरैया–अ	Saraiya -A	445	350.660	गौरी शंकर दूबे गोदाम, विंण्ढमगंज
37	R- A 116 /20	सरैया–स	Saraiya-S	94	71.228	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
38	R- A 120 /20	सेमिया–अ	Semia-A	226	148.790	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
39	R- A 122 /20	सुईचट्टान	Suichattan-	191	152.400	भागीरथी गोदाम,हीराचक
40	R- A 128 /20	वनमहरी(शिशवा)	Vanmahri (Shishwa)	66	42.500	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
41	R- A 130 /20	वासिन–अ	Wasin-A	405	331.845	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
42	R- A 131 /20	वासिन–ब	Wasin-B	122	99.400	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
43	R- A 132 /20	विंण्ढमगंज	Wyndhmganj	59	46.145	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
	43 लाटें	**योग**		**4510**	**3382.332**	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क0 सं0	लाट सं0 व वर्ष	सेक्शन का नाम (इकाई का नाम)		वा0 बोरा	मा0 बोरा	गोदाम
1	R- B 01 /20	अनपरा (वियहवा)	Anpara	383	286.190	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
2	R- B 02 /20	अनपरा(लोझरा,बैरपान, असनहर)	Anpara	372	249.470	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
3	R- B 03 /20	अनपरा (खजुरा,औड़ी ,रणहोर, लोझरा,बैरपान, वियहवा)	Anpara	279	202.093	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
4	R- B 04 /20	बभनी–1(डुमरहर, करमघट्टी)	Babhni-1	352	247.535	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
5	R- B 08 /20	बभनी–1 (डूभा, कनवा,वजिया)	Babhni-1	470	347.100	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
6	R- B 09 /20	बभनी–1(कनवा,वजिया, घघरी)	Babhni-1	464	342.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
7	R- B 10 /20	बभनी–1 (घघरी, अघौरा,वनमहरी(शिशवा)	Babhni-1	471	348.125	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
8	R- B 12 /20	बभनी–2 (सागोबाँध, चकबदरी)	Babhni-2	475	376.600	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
9	R- B 13 /20	बभनी–2(चकबदरी , बैना,आसनडीह)	Babhni-2	465	368.700	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
10	R- B14 /20	बभनी–2(आसनडीह,मच बन्धवा–ब,करचाटोला)	Babhni-2	478	379.265	अन्जू जायसवाल गोदाम,दुद्धी
11	R- B15 /20	डाला (अवाड़ी – ब)	Dala	326	201.640	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
12	R- B 16 /20	डाला (अवाड़ी – स)	Dala	326	206.295	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
13	R- B 17 /20	डाला (गुरमुरा–अ,बअवाड़ी –अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	450	313.745	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
14	R- B 18 /20	डाला (गुरमुरा–अ,बअवाड़ी –अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	455	317.230	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
15	R- B 19 /20	डाला (गुरमुरा–अ,बअवाड़ी–अ,	Dala	447	311.655	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी

		कोटा, चोपन, बसुधा)				
16	R- B 20 /20	डाला (गुरमुरा–अ,बअवाड़ी –अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	420	292.830	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
17	R- B 21 /20	डाला (गुरमुरा–अ,बअवाड़ी –अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	463	322.815	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
18	R- B 22 /20	दुद्धी (बहेराडोल)	Duddhi	400	303.886	भानुमती गोदाम, दुद्धी
19	R- B 29 /20	गोहणा (बघाडू (अमवार),भीसुर)	Gohada	362	271.270	भागीरथी गोदाम, हीराचक
20	R- B 30 /20	जरहा (जरहा पूर्वी– अ, मजीठ–अ,ब,जरहा पूर्वी –ब, इंजानी, पर्वतवा)	Jarha	390	256.310	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
21	R- B 31 /20	जरहा (महुली– ब)	Jarha	350	256.230	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
22	R- B 33 /20	जरहा (जरहा पश्चिमी– अ,ब)	Jarha	339	267.525	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
23	R- B 34 /20	जरहा (नेमना– अ)	Jarha	264	210.400	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
24	R- B 35 /20	जरहा (नेमना– ब)	Jarha	352	262.580	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
25	R- B 36 /20	जुगैल–अ (जुगैल –अ)	Jugail- A	429	247.160	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
26	R- B 37 /20	जुगैल–अ (जुगैल–ब,अगोरी–अ)	Jugail- A	520	341.055	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
27	R- B 41 /20	जुगैल–ब (बेलगढ़ी अ, ब, पिपरा ब)	Jugail-B	441	296.970	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
28	R- B 42 /20	जुगैल–ब (पिपरा – अ)	Jugail-B	401	252.993	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
29	R- B 44 /20	कोन (रामगढ़ – अ)	Kon	395	313.438	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
30	R- B 45 /20	कोन (रामगढ़ – अ, ब)	Kon	398	315.820	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
31	R- B 46 /20	कोन (रामगढ़ – ब)	Kon	390	309.470	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
32	R- B 47 /20	कोन (रामगढ़ – ब,स)	Kon	396	314.232	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
33	R- B 48 /20	कोन (रामगढ़– स,हर्रा–अ)	Kon	399	316.612	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
34	R- B 49 /20	कोन (हर्रा– अ, ब)	Kon	400	317.407	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
35	R- B 50 /20	कोन (हर्रा–ब,सरैया –स)	Kon	376	298.362	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
36	R- B 53 /20	कोन (सरैया–अ)	Kon	349	275.510	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
37	R- B 54 /20	कोन (सरैया–अ)	Kon	351	280.230	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
38	R- B 55 /20	कोन (सरैया–अ)	Kon	347	275.485	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
39	R- B 57 /20	कोन (केवाल–अ)	Kon	407	312.090	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
40	R- B 59/20	कोन (केवाल–ब)	Kon	450	341.740	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
41	R- B 61/20	कोन (केवाल – स)	Kon	308	235.610	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विंण्ढमगंज
42	R- B 65 /20	ओबरा (टापू, पनारी)	Obra	509	322.470	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम),सलखन
43	R- B 66 /20	पिपरी (मुर्धवा (रेनुकूट)–ब)	Pipri	342	239.280	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी

44	R- B 67 /20	पिपरी(महुलाईनसोत,मुर्धवा(रेनुकूट)–अ,बेलहत्थी,रानीताली)	Pipri	380	265.430	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
45	R- B 70 /20	पिपरी (महुलाईनसोत)	Pipri	386	262.655	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
46	R- B 73 /20	तरिया (बसुहारी, ससनई)	Tariya	241	175.551	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम)सलखन
47	R- B 75 /20	विंण्ढमगंज (विंण्ढमगंज)	Wyndhamganj	223	177.677	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
48	R- B 76 /20	विंण्ढमगंज (हरनाकछार–अ)	Wyndhamganj	383	325.970	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
49	R- B 77 /20	विंण्ढमगंज (औराडंडी)	Wyndhamganj	294	233.265	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
50	R- B 78 /20	विंण्ढमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	250	198.250	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
51	R- B 79 /20	विंण्ढमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	251	200.309	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
52	R- B 80 /20	विंण्ढमगंज (वासिन–अ)	Wyndhamganj	290	216.790	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
53	R- B 81 /20	विंण्ढमगंज (वासिन–अ)	Wyndhamganj	297	222.030	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
54	R- B 82 /20	विंण्ढमगंज (धूमा – ब)	Wyndhamganj	236	201.330	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
55	R- B 83 /20	विंण्ढमगंज (हरनाकछार–अ)	Wyndhamganj	284	223.060	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
56	R- B 84 /20	विंण्ढमगंज (वासिन–ब)	Wyndhamganj	126	105.100	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
57	R- B 85 /20	विंण्ढमगंज (सुईचट्टान)	Wyndhamganj	350	297.503	भागीरथी गोदाम, हीराचक
58	R- B 86 /20	विंण्ढमगंज (सुईचट्टान)	Wyndhamganj	350	262.497	भागीरथी गोदाम, हीराचक
59	R- B 88 /20	विंण्ढमगंज (सुईचट्टान, जोरूखाड़, कोरगी)	Wyndhamganj	331	268.185	भागीरथी गोदाम, हीराचक
	59 लाटें	**योग**		**21833**	**16183.725**	
	102 लाटें	**प्रभाग का कुल योग**		**26343**	**19566.057**	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	M-A 10/20	दरेव	Darev	470	369.710	क्रान्तीब्रम्ह्म शाह, राबर्टसगंज
	01 लाटें	**योग**		**470**	**369.710**	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	सेक्शन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	M-B 05/20	घोरावल से0	Ghorawal	392	312.032	चकवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	M-B 06/20	घोरावल से0	Ghorawal	387	307.418	चकवाल, गोदाम मिर्जापुर
3	M-B 09/20	रामगढ से0	Ramgarh	220	174.310	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
	03 लाटें	**योग**		**999**	**793.760**	
	04 लाटें	**प्रभाग का योग**		**1469**	**1163.470**	

वर्ष 2018 सीजन की सी–1 स्टाक की लाट

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	वा0 बोरा	
1	34/18–19	सी–1 स्टाक	C-1	10	7.600	लालगंज रेंज परिसर
		01 लाट		10	7.600	
	05 लाटें	प्रभाग का कुल योग		1479	1171.070	
	107 लाटें	क्षेत्र का कुल योग		27822	20737.127	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी

वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-A 1/20	अगरहुण्डा	AGARHUNDA	441	250.281	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
2	K-A 15/20	गढवा	GADAWA	417	299.663	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
3	K-A 16/20	गढचपा (अ)	GARHCHAPA A	275	151.106	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
4	K-A 18/20	हनुवा	HANUA	578	363.600	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
	04 लाटें	योग		1711	1064.650	

वर्षा से प्रभावित लाटे

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-B 1/20	अतर्रा सेक्शन	ATRRA SECTION	1058	684.915	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
2	K-B 2/20	बरगढ़ सेक्शन	BARAGARH SECTION	56	43.850	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-B 3/20	कर्वी सेक्शन	KARWI SECTION	478	306.955	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
4	K-B 5/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	900	516.978	रसिन गोदाम
5	K-B 6/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	890	511.235	रसिन गोदाम
6	K-B 7/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	870	499.745	रसिन गोदाम
7	K-B 8/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	880	505.492	रसिन गोदाम
8	K-B 9/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	16	9.850	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	K-B 10/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	389	252.324	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
10	K-B 11/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	998	590.369	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
11	K-B 12/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1021	676.450	रसिन गोदाम
12	K-B 13/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1018	674.426	रसिन गोदाम
	12 लाटें	योग		8574	5272.589	

सी–1 की लाट

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-C 1/20	सी–1	C-1	9	4.100	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	01 लाट	योग		9	4.100	
	17 लार्टे	प्रभाग का कुल योग		10294	6341.339	

झॉसी लौगिंग प्रभाग, झॉसी
वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सी–1 की लाट

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0 बोरा	मा0 बो0	
1	2	3	4	5	6
1.	L-C 01/20	सी–1	1	0.685	रंज परिसर, झॉसी
	1 लाट	योग	1	0.685	

वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन की वर्षा से प्रभावित लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0 बोरा	मा0 बो0	
1	2	3	4	5	6
1.	क–53/18	रामनगर सेक्शन	13	11.500	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	1 लाट	योग	13	11.500	
	19 लाटें	कुल योग लखनऊ क्षेत्र	10308	6353.524	
	126 लाटें	कुल योग प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र	38130	27090.651	

कार्यालय– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक–2888 /ते0प0/बिक्री/2021 /दिनांक –09.03.2022

सेवा में,

मे0 आर0 डी0

एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0,

257, चक, जीरो रोड –प्रयागराज ।

विषय– तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 10.03.2022 को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया प्रकाशित समाचार पत्र की एक–एक प्रति पुष्टि हेतु तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें–

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाईम्स आफ इंडिया, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।

उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाईन्स, प्रयागराज

दूरभाष एवं फैक्स – +91532–2427536

तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु खुली–सार्वजनिक नीलामी सूचना–नीलाम तिथि 28.03.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 सीजन की अवशेष व पूर्व वर्षों एवं अन्य अवशेष तेन्दूपत्ता की **लाटों** की विक्री खुले–नीलाम प्रणाली के माध्यम से **वाराणसी, दुद्धी एवं झाँसी विक्रय प्रभाग** की लाटों का समिति नीलाम दिनांक 28.03.2022 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से नीलाम की समाप्ति तक **सगुन निलायम (गेस्ट हाउस) बी. एस. ए. आफिस के निकट, जगराम चौराहा, प्रयागराज, (उत्तर प्रदेश)** में किया जायेगा।

उक्त नीलाम से सम्बन्धित विक्री सूची व विक्री शर्तें क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी के कार्यालय से क्रमशः दिनांक 21.03.2022 से कार्यालय अवधि में निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। विक्री सूची व विक्री शर्तें दिनांक 21.03.2022 से उ0 प्र0 वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

(ए0पी0सिन्हा)

मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक– 2888 /ते0प0/बिकी/2020/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके पत्रांक–ते0प0 10466/ते0प0बिकी वर्ष 2021 दिनांक 09.03.2022 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
5. महाप्रबन्धक (विपणन/उत्पादन/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी, चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फुलेनगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, रामनगर वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन)।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं लखनऊ। क्षेत्र।
12. विक्रय अधिकारी (सिस्टम), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नीलाम सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. तेन्दू पत्ता क्रेता गण को डाक से।
14. कार्यालय सूचना पट।

(ए0पी0सिन्हा)
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु शर्तें

1. **नीलाम परिसर में प्रवेश**–नीलाम परिसर में प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति (आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को रू0 10000/–(दस हजार रूपये मात्र) गेटमनी के रूप में नीलाम स्थल पर उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। गेटमनी नीलाम स्थल पर नीलाम के दिन प्रातः 9.00 बजे से जमा की जायेगी। असफल क्रेताओं को उक्त धनराशि नीलाम की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेताओं के मामले में यह धनराशि जमानत के रूप में समायोजित कर दी जायेगी। परन्तु नीलाम में किसी प्रकार का व्यवधान तथा गंड़बड़ी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ–साथ गेटमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. **नीलाम के दौरान सद्व्यवहार**– नीलाम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तथा बोली देने वाले नीलाम के दौरान सद्व्यवहार करेंगे। यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा जिससे नीलाम में कोई बाधा पड़े तो नीलामकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को नीलाम से बाहर निकाल/निकलवा दें और ऐसे व्यक्तियों की बोली स्वीकार न करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। यदि नीलाम करने वाले अधिकारी को विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने नीलाम में गड़बड़ी या अड़चन पैदा की तो उनकी गेटमनी जब्त कर ली जायेगी तथा उसको अवाँछित घोषित कर दिया जायेगा।
3. **नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र ले जाने का निषेध**– नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

4– **पत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत बिक्री –**

(अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग–अलग भण्डारित किया गया है –

1. सामान्य ग्रेड (ए):– ग्रेड–बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।

2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):–वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला/काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड का पत्ता गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी का पत्ता इकाईवार/सेक्सनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, लाट की बिक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेता बोली देने से पूर्व पत्ते का भली–भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का ऑकलन स्वयं करके बोली दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की बिक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरों की पल्टाई, तौल एवं जाँच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में बिक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो, वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम दस (10) दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

5– **छँटाई का प्रतिबन्ध**– लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छॉटने की अनुमति नही होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार होगी।

6– तेन्दूपत्ता नीलाम की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर कार्यालय अवधि से प्राप्त किया जा सकता है। बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर उपलब्ध होंगी।

7– **लाटवार बोली एवं दर**– नीलाम में विक्रय सूची के अनुसार लाटवार बोली ली जायेगी एवं दर रूपया–पैसा प्रति कि0ग्रा0 में ली जायेगी।

8– **बिना कारण बताये किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार**– लाटों का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर किया जायेगा परन्तु उत्तर प्रदेश वन निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निगम को यह अधिकार होगा कि वह उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

9– **लाट का अनुमोदन**– नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर लाटों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

10– **जमानत**– लाट की बोली समाप्त होते ही हथौड़ा गिरने पर उच्चतम बोली तथा द्वितीय उच्चतम बोली देने वाले व्यक्तियों को तुरन्त ही बिडलिस्ट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उच्चतम् बोलीदाता को लाट के कुल अनुमानित विक्रय मूल्य (शत प्रतिशत भण्डारण वजन या ऐसा न होने पर 30 कि0ग्रा0 प्रति वास्तविक बोरा वजन मानते हुए) का पन्द्रह प्रतिशत (परन्तु वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत) धनराशि बतौर जमानत के रूप में तुरन्त जमा करना होगा। **देय जमानत की धनराशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर जो लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/दुद्धी/झाँसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा।** देय जमानत जमा न करने पर लाट की पुनः बिक्री कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित बोलीदाता की गेटमनी जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अधीन कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

11– **नीलाम स्वीकृति की सूचना–** नीलाम अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को सामान्यतया सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्रवाहक द्वारा क्रेता के बिडलिस्ट में दिये गये पते पर नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल बोलीदाताओं को नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो, उन्हें चाहिए कि वे सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से संपर्क कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें। यदि वे ऐसा नही करते हैं तो, स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी। परन्तु किन्हीं कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो, ऐसी परिस्थिति में चालीस (40) दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश वन निगम का पत्र उसे (बोलीदाता को) प्राप्त समझा जायेगा। सम्बन्धित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर नीलाम स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। नीलाम परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध होगी।

12. सफल क्रेता द्वारा बिडलिस्ट में दिये गये पते पर पंजीकृत पत्र/पत्रवाहक द्वारा भेजी गई उत्तर प्रदेश वन निगम की चिट्ठियाँ उसे प्राप्त हुई समझी जायेगी। यदि क्रेता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहें तो ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख बिडलिस्ट में करना होगा। उक्त पते पर भी भेजी गई सभी पंजीकृत चिट्ठियाँ क्रेता को प्राप्त हुई समझी जायेगी।

13. **अनुबन्ध–** सफल क्रेता को लाट की स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना प्राप्त के 07 दिन में तथा पंजीकृत पत्र द्वारा लाट की स्वीकृति सूचना भेजने पर पंजीकृत पत्र भेजने की तिथि के 10 दिन के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाटों का अनुबन्ध सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक यह कार्यवाही न करने पर लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा जमानत धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी, जिसकी कोई सूचना बोलीदाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा तथा लाट की पुनः बिक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या अविभाजित हिन्दू परिवार (कुटुम्ब) की ओर से बोली देने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख, जिसमें उसे यह प्राधिकार/शक्ति (ॲथारिटी) दी गयी हो, मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी बिक्री को निरस्त करके जमा बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है। बोलीदाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु सम्बन्धित तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुबंध के समय देना अनिवार्य होगा तथा अपना नाम, पिता का नाम, अपना हस्ताक्षर एवं अपनी फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भी देना होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो, ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा दस प्रतिशत (10%) अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपये पाँच हजार (रु॰ 5,000/–) मात्र जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। **उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।**

(द) यदि किसी क्रेता ने एक ही प्रभाग की कई लाटें एक साथ क्रय की हों तथा वह इन लाटों की जमानत व किश्तों का निर्धारण एक साथ कराना चाहता हो तथा संयुक्त रूप से सभी लाटों के लिये एक अनुबन्ध करना चाहता हो तो, क्रेता के लिखित आवेदन पत्र पर ऐसा अनुबन्ध प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में उस अनुबन्ध की समस्त लाटों की कुल जमानत धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जायेगा।

14– **विक्रय मूल्य/किश्त का भुगतान, माल की निकासी तथा निकासी की मात्रा** – देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता की निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) विक्रय मूल्य का भुगतान – अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी –

1. जून/जुलाई के नीलाम की लाटों के लिये–

(i) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों के लिये – रेनुकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटो लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार (4) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41 वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त इक्तालीसवें (41 वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

(ii) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के लिये – रेनूकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत परसोई तथा जुगैल स्थित गोदामों में भण्डारित सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता लाटों का अनुमानित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार तीन बराबर किश्तों में जमा करना होगा।

पहली किश्त– अन्य लाटों की भाँति स्वीकृति की तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन।

दूसरी किश्त– स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन।

तीसरी अन्तिम किश्त– स्वीकृति की तिथि के एक सौ इकतीसवें (131वें) दिन। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के लिये पहली किश्त स्वीकृति तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन एवं दूसरी किश्त स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन देय होगी।

2. अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर के नीलाम की लाटों के लिये–
सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन (3) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा। पहली किश्त इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

3. नवम्बर/दिसम्बर एवं पश्चात्वर्ती नीलाम की लाटों के लिये–
सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किश्त में करना होगा।

नोटः– यदि अन्तिम किश्त जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद क्रेता को निकासी दी जायेगी। अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक की धनराशि को, अन्तिम किश्त जमा करने के तीस (30) दिनों के अन्दर, परन्तु निकासी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो, किश्तों की धनराशि वास्तविक विक्रय मूल्य की सीमा तक क्रेता को जमा करनी होगी। ऐसी स्थिति में भी अन्तिम देय किश्त की देय तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर सम्पूर्ण निकासी क्रेता को लेनी होगी। यदि क्रेता अधिक धनराशि जमा कर देता है तो, उसे क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर वापस किया जायेगा।

4.(अ) यदि क्रेता द्वारा क्रय की गई लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत (1%) की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है, तो इसके विरूद्ध निकासी अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है अन्यथा, अगली किश्त की देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही निकासी दी जा सकेगी।

अन्तिम देय किश्त की तिथि से साठ (60) दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य तीस (30) दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो, उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि, उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप ही निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किस्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किस्त छोड़कर) अगली किस्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नही ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रूपये प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

(य) शून्य काल– यदि वन निगम किन्ही कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम साठ (60) दिनों तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो, जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा, उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा, उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी। परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

15– समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना तथा पुनः बिकी पर हानि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली –

(अ) यदि शर्त संख्या–14 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि पर कोई केता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो, किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो, उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। **ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रूपये एक सौ (रू॰ 100/–) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमा करके धन प्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा।** बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उपर्युक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा छः (06) पैसे प्रति सौ रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम तीस (30) दिनों की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले तीस (30) दिनों तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। **इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम लखनऊ को होगा।**

(ब) शर्त सं0–15 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नही करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो, लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। केता को

उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त सं0–15 ब के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो, बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर पूर्व क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन अन्य लाटों के विरूद्ध निगम में उक्त पूर्व केता की जमा वापसी योग्य धनराशि से किया जायेग।

(द) यदि शर्त संख्या– 15 स में उल्लिखित प्रकिया के उपरान्त भी निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नही होती है तो, आर्थिक हानि की अवशेष धनराशि की वसूली पूर्व केता से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

16– **निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया** – यदि कोई क्रेता निर्धारित समय के अनुसार लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त –14 ब के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो, रूपये दो (रू॰ 2/–) मात्र प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि वृद्धि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकती है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। पूरी किश्त की धनराशि जमा होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अगले तीस (30) दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार आगामी 15 मई तक के लिये महाप्रबन्धक, (तेन्दू पत्ता) को होगा। तत्पश्चात् लाट की बिक्री निरस्त कर जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त किया जायेगा।

क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो, उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। **विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।**

17– **विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को कम करने का अधिकार** –शर्त संख्या–15 एवं 16 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।

18– **जमानत का समायोजन** – जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरूद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो, लाट की अन्तिम किश्त के विरूद्ध किया जा सकता है।

19– **निकासी का परिमाण एवं समय** – क्रेता को तेन्दू पत्ता बोरो की निकासी प्रत्येक बोरे को तौल कर की जायेगी एवं माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

20– **बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि का भुगतान – विकय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम बने बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभागीय विकय प्रबन्धक के कार्यालय स्थान (दुद्धी को छोडकर) पर देय होगी, द्वारा करना होगा। मूल्य के भुगतान की प्राप्ति रसीद वन निगम की रसीद पर संबंधित गोदाम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई वैध मानी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम रूपये एक हजार तक की धनराशि नकद ली जा सकती है। दुद्धी विकय प्रभाग की लाटों के लिये बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद में देय होना चाहिए।**

21– संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना – यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किश्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किश्तों के विरूद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के सम्बन्ध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवाना सुनिश्चित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किश्त, ऐसे हस्तान्तरण किये जाने के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

22– कर भार –

(अ) आयकर – भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) मण्डी शुल्क एवं अन्य देय कर – शर्त सं0 22 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में दो दशमलव पाँच प्रतिशत (2.5%) अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थिति हो, की दर से देय होगी, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो, उसकी भी वसूली सम्बन्धित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम/नियमावली के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली क्रेता से की जायेगी।

23– नियमों का पालन – यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (यथा अद्यतन संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम, 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त समस्त अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत नियमावलियों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।

24– विविध – उपरोक्त शर्त संख्या 4, पत्तों के ग्रेड से सम्बन्धित शिकायत के अलावा यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जाँच हेतु आवेदन किया जाता है तो, ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जाँच के लिये रूपये पाँच (रू॰ 5/–) प्रति वास्तविक बोरा की दर से **देय जी0एस0टी0 अतिरिक्त सहित** क्रेता को अग्रिम रूप से धनराशि जमा करना होगा। यह धनराशि सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी **राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक** के बैंक ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो, के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न

करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जाँच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो, उस स्थिति में ऐसे निर्णय के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा, परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जाँच प्रक्रिया से किश्त जमा करने की तिथियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

25– **न्यायिक वाद का क्षेत्राधिकार** – इस तेन्दू पत्ता बिक्री से सम्बन्धित किसी भी लाट के सम्बन्ध में न्यायिक वाद, केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

26– **तेन्दू पत्ता नीलाम सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध होगी ।**

27– किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि, सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

28– **अधिवक्ता द्वारा ठेकेदारी में प्रतिभाग न किया जाना** – राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार कौंसिल) में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे।

यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायगा।

29– **मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)** – शर्तों के पालन सम्बन्धी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम